

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

आदेश

संख्या :- 4/क्षे0स्था0, लिपिक 03/2015

25/11/रा0, पटना-15, दिनांक- 30-11-15

बिहार राजस्व लिपिक (संवर्ग भर्ती) नियमावली 2014, अधिसूचना संख्या-1904, दिनांक-17.12.2014 से प्रवृत्त है। उक्त नियमावली के नियम 3(2) (III) के द्वारा वित्त विभाग के संकल्प संख्या 7788, दिनांक-02.12.2006 के आलोक में 20.12.2000 के पूर्व नियुक्त बंदोवस्त कार्यालयों के मोहर्रिं को उच्चवर्गीय लिपिक के रूप में तथा 20.12.2000 के बाद नियुक्त मोहर्रिं को निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में वर्गीकृत करने का उपबंध किया गया है। साथ ही उक्त नियमावली के नियम 3(2) (IV) के द्वारा प्रतिलिपिक/पेशकार/तुलना लिपि/प्रधान पेशकार/मुंसरीम अलिखंखयाल -सह सिरिस्तेदार/सर्वेयर मुसरीम/परिमाप निरीक्षक/प्रधान परिमाप निरीक्षक/टंकण/आशुटंकण के पदों को लिपिकीय संवर्ग में समाहित करने तथा कर्मियों को वेतनमान प्रक्रम के आधार पर निम्नवर्गीय/उच्चवर्गीय लिपिक में समाहित करने उपबंध किया गया है।

चकबंदी निदेशालय में लिपिक संवर्ग में पूर्व से 73 पद सृजित है। मोहर्रिं एवं पेशकार संवर्गों के स्वीकृत पदों की विवरणी निम्नवत है :-

मोहर्रिं - 133 पद
पेशकार - 04 पद


अतः उक्त नियमावली के नियम 3(2) (IV) के आलोक में चकबंदी निदेशालय के अन्तर्गत स्वीकृत मोहर्रिं के 133 पदों एवं पेशकार के 4 पदों को लिपिक संवर्ग में समाहित किया जाता है। उक्त सभी पदों को लिपिक संवर्ग में समाहित करने पर चकबंदी निदेशालय के लिपिक संवर्ग का कुल स्वीकृत बल 210 हो जाता है।

मोहर्रिं के पदों को लिपिकीय संवर्ग में समाहित करने के उपरांत उक्त राजस्व लिपिक नियमावली के नियम-3 (2) (III) के प्रावधानों के तहत 20.12.2000 के पूर्व नियुक्त मोहर्रिं को उच्चवर्गीय लिपिक के रूप में निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है :-

क्र0सं0	कर्मि का नाम	कोटि	जन्मतिथि	मोहर्रिं के पद पर योगदान की तिथि
1	2	3	4	5
1	कौशल किशोर खॉ	सामान्य	01.05.59	16.06.84



2	झूलन सिंह	पिछड़ा वर्ग	04.11.56	06.07.84
3	राम नरेश प्र० सिंह	पिछड़ा वर्ग	15.09.57	13.07.84
4	दयानंद शर्मा	पिछड़ा वर्ग	08.03.57	18.07.84
5	सुश्री कुमारी चित्रा	सामान्य	03.01.57	17.04.86
6	भरत सिंह	सामान्य	03.01.57	19.10.87
7	सत्येन्द्र नारायण सिंह	पिछड़ा वर्ग	01.01.60	19.10.87
8	अखिलेश कु० सिंह	पिछड़ा वर्ग	04.11.58	06.11.87
9	मनोज कुमार सिंह	सामान्य	02.11.65	06.11.87
10	राम विनय सिंह	सामान्य	18.01.57	25.11.87
11	राजीव कुमार	पिछड़ा वर्ग	03.09.62	27.11.87
12	राम अवध सिंह यादव	पिछड़ा वर्ग	22.11.60	30.11.87
13	राम प्रवेश राम	अनुसूचित जाति	01.01.64	30.11.87
14	विनय कुमार	पिछड़ा वर्ग	05.03.61	07.12.87
15	मथुरा चौधरी	अनुसूचित जाति	11.07.64	07.12.87
16	संजय कुमार	सामान्य	02.02.67	21.12.87
17	गजेन्द्र प्र० सिंह	सामान्य	01.01.58	22.12.87
18	शैलबाला सिन्हा	सामान्य	05.12.55	24.12.87
19	बिजेन्द्र चौधरी	अनुसूचित जाति	04.08.63	24.12.87
20	श्रीमति सावित्री देवी	पिछड़ा वर्ग	05.03.66	25.04.88
21	सुदेश्वर ठाकुर	पिछड़ा वर्ग	12.07.70	12.08.88
22	वासुदेव मंडल	पिछड़ा वर्ग	01.02.65	17.01.91
23	महेश प्र० सिंह	सामान्य	01.02.66	07.02.91
24	उमेश कुमार राय	सामान्य	20.01.68	07.03.91
25	ओम प्रकाश चौधरी	पिछड़ा वर्ग	16.02.60	28.08.91
26	सुनील कुमार सिंह	पिछड़ा वर्ग	15.01.68	01.12.92
27	सत्येन्द्र कुमार	पिछड़ा वर्ग	24.01.72	28.05.93
28	उमेश कुमार	पिछड़ा वर्ग	17.07.64	06.09.95
29	शहाबुद्दीन अंसारी	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	03.04.67	06.09.95
30	जीतेन्द्र कुमार	पिछड़ा वर्ग	07.02.70	06.09.95
31	अरविन्द कुमार	पिछड़ा वर्ग	05.01.72	06.09.95




32	उत्तम कुमार	पिछड़ा वर्ग	01.01.71.	12.09.95
33	असद अलाम अंसारी	पिछड़ा वर्ग	15.02.71	18.12.95
34	अर्जुन मंडल	पिछड़ा वर्ग	19.02.68	02.06.97
35	मालती कर्ण	सामान्य	07.04.64	28.08.99

उक्त नियमावली के नियम 3(2)(III) प्रावधानों के तहत ही 20.12.2000 के बाद नियुक्त निम्नांकित मुहरियों को निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है :-

क्र०सं०	कर्मि का नाम	कोटि	जन्मतिथि	मोहरिर के पद पर योगदान की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्रीमति अनीता वसाक	सामान्य	18.08.56	19.10.04
2	संतोष कुमार गुप्ता	पिछड़ा वर्ग	20.10.76	19.11.04


पेशकार के पद पर वर्तमान में कोई कार्यरत नहीं है। अतः पेशकारों के उच्चवर्गीय लिपिक/निम्नवर्गीय लिपिक के रूप में वर्गीकृत किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

मोहरिर एवं पेशकार के पदों को लिपिक संवर्ग के साथ एकीकरण के फलस्वरूप पूर्व से कार्यरत लिपिकों/मोहरिरों की आपसी वरीयता का निर्धारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान सामान्य प्रशासन विभाग) के ज्ञापांक-3/आर० 1-106-72-15784/का०, दिनांक-26.08.1972 में निहित प्रावधानों एवं उपबंधों के आधार पर किया जायगा।


(विनोद कुमार झा),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-..... 251 (1)/रा०., पटना-15, दिनांक-..... 30.04.2015

प्रतिलिपि:- निदेशक चकबंदी/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त निदेशक चकबंदी /सभी उप निदेशक चकबंदी/सभी चकबंदी पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/ उप कोषागार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(विनोद कुमार झा),
सरकार के अपर सचिव।

E-MAIL